



2026:AHC-LKO:22525

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-सी संख्या - 1003122 वर्ष 2000

विजय शंकर और अन्य

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपर आयुक्त, फैजाबाद

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : बिरेन्द्र नारायण शुक्ल, एस०पी० शुक्ल
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रमा रमण
मिश्र

न्यायालय संख्या-4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र नारायण शुक्ला, प्रतिवादी संख्या 3/1 के विद्वान अधिवक्ता श्री रमा रमण मिश्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव को सुना ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा पारित दिनांक 21.11.2000 एवं 25.05.1999 के आदेशों तथा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित उत्तर प्रदेश जेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 198(4) के अंतर्गत कार्यवाही को चुनौती दे रहे हैं।

3. वाद का तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य यह है कि याचिकाकर्ताओं को भूखंड संख्या 327 एम का पट्टा प्रदान किया गया। इस संबंध में भूमि प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया तथा दिनांक 02.08.1989 को प्रदत्त उक्त पट्टे को एसडीओ द्वारा अनुमोदन भी प्रदान किया गया। पट्टा विधिवत निष्पादित किया गया और याचिकाकर्ताओं का नाम विधिवत राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं ने उक्त भूखंड पर विभिन्न वृक्षों का रोपण किया।

4. 7 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरांत, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रदत्त पट्टे के निरस्तीकरण हेतु इस आधार पर उत्तर प्रदेश जेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 198(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि वर्ष 1982 में उनके पक्ष में पट्टा पूर्व से ही प्रदान किया जा चुका था, यद्यपि याचिकाकर्ताओं को कोई पट्टा प्रदान नहीं किया गया था।

5. यह अभिकथित किया गया कि केवल कोई प्रस्ताव पारित किया गया था, परंतु उस को एस०डी०एम० द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और न ही कोई पट्टा प्रदान किया गया था। सूचना के उपरांत याचिकाकर्ता वाद में उपस्थित हुए तथा लिखित कथन दाखिल किया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 198(5 एवं 6) के प्रावधानों के आलोक में धारा 198(4) के अंतर्गत आवेदन परिसीमा से बाधित है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें परिसीमा के प्रश्न को प्रारंभिक आपत्ति के रूप में निर्णय किए जाने का अनुरोध किया गया।

6. प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 28.09.1999 के आदेश द्वारा बिना कोई कारण अभिलिखित किए परिसीमा की बाधा के संबंध में याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण दाखिल किया, जिसे भी अप्रासंगिक विचारों एवं प्रावधानों की गलत व्याख्या के आधार पर खारिज कर दिया गया।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 198 (5 एवं 6) के अंतर्गत परिसीमा का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1980 से पूर्व के मामलों में परिसीमा 7 वर्ष है तथा उसके पश्चात् परिसीमा 5 वर्ष है। प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ताओं के पट्टे के निरस्तीकरण हेतु 7 वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत की है, अतः आवेदन पोषणीय नहीं है और यह तर्क प्रारंभिक आपत्ति के रूप में लिया गया।

8. उनका अगला तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किए बिना, पट्टे के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रतिवादी ने अत्यंत सरसरी ढंग से कार्य किया और विहित प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किया गया।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आदेश प्रथमदृष्टया अवैध है और इसे निरस्त किया जाना दायित्वपूर्ण है, यह घोषित करते हुए कि प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से तथा मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना कार्य किया है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता अधिनियम की धारा 198 (5 एवं 6) में निहित प्रावधानों का, जिसमें पट्टे के निरस्तीकरण हेतु परिसीमा का उपबंध किया गया है, विवाद नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आदेश एक अंतरिम उपाय के रूप में पारित किया गया है तथा वाद का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है, पारित अंतरवर्ती आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आदेश न्यायोचित एवं वैध है तथा उसमें कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

12. वाद में निहित विवाद के निराकरण हेतु, उत्तर प्रदेश जेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 198 (5 एवं 6) का उल्लेख निम्नलिखित है:

“(5) उपधारा (4) के अधीन किसी आवंटन अथवा पट्टे के निरस्तीकरण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में आवंटन अथवा पट्टा किया गया था, अथवा उसके विधिक प्रतिनिधियों को कारण बताओ सूचना तामील न की गई हो:

परंतु यह कि ऐसे किसी आवंटन अथवा पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही में, जहाँ ऐसी कार्यवाही 18 अगस्त, 1980 को कलेक्टर या किसी अन्य न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी, ऐसी कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(6) उपधारा (5) में उल्लिखित प्रत्येक कारण बताओ सूचना निर्गत की जा सकेगी—

(क) उस दशा में, जहाँ भूमि का आवंटन 10 नवम्बर, 1980 (एतदपश्चात् उक्त तिथि के रूप में संदर्भित) से पूर्व किया गया हो, उक्त तिथि से [सात वर्ष] [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 वर्ष 1986 द्वारा प्रतिस्थापित तथा सदैव से प्रतिस्थापित माना जाएगा] की अवधि की समाप्ति से पूर्व; तथा

(ख) उस दशा में, जहाँ भूमि का आवंटन उक्त तिथि को या उसके पश्चात् किया गया हो, ऐसे आवंटन अथवा पट्टे की तिथि से [पाँच वर्ष] की अवधि की समाप्ति से पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, जो भी बाद में हो।"

13. इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उपधारा (4) के अधीन किसी आवंटन अथवा पट्टे के निरस्तीकरण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में आवंटन अथवा पट्टा किया गया था, अथवा उसके विधिक प्रतिनिधियों को कारण बताओ सूचना तामील न की गई हो। परंतु यह कि ऐसे किसी आवंटन अथवा पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही में, जहाँ ऐसी कार्यवाही 18 अगस्त, 1980 को कलेक्टर या किसी अन्य न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी, ऐसी कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी। उपधारा (5) में उल्लिखित प्रत्येक कारण बताओ सूचना निर्गत की जा सकेगी— उस दशा में, जहाँ भूमि का आवंटन 10 नवम्बर, 1980 से पूर्व किया गया हो, उक्त तिथि से [सात वर्ष] की अवधि की समाप्ति से पूर्व तथा इसे उक्त तिथि से सदैव प्रतिस्थापित माना जाएगा; तथा

उस दशा में, जहाँ भूमि का आवंटन उक्त तिथि को या उसके पश्चात् किया गया हो, ऐसे आवंटन अथवा पट्टे की तिथि से [पाँच वर्ष] की अवधि की समाप्ति से पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, जो भी बाद में हो।

14. वर्तमान वाद में, प्रतिवादी संख्या 3 ने 10.12.1996 को 7 वर्ष से अधिक की अवधि के अंतराल के पश्चात् पट्टे के निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, अतः अधिनियम की धारा 198 (5 एवं 6) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध के आलोक में पट्टे के निरस्तीकरण हेतु आवेदन पोषणीय नहीं था।

15. विहित प्राधिकारी ने परिसीमा के प्रश्न का निर्णय करते समय यह ध्यान में नहीं लिया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस संबंध में कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं थी तथा उस पर भी विचार नहीं किया गया, अतः अधिनियम की धारा 198 (5 एवं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6) के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किए बिना पारित विहित प्राधिकारी का आदेश प्रत्यक्ष अवैधता से ग्रस्त है और निरस्त किए जाने योग्य है।

16. पुनरीक्षण न्यायालय ने भी अधिनियम की धारा 198 (5 एवं 6) में निहित प्रावधानों पर विचार नहीं किया है तथा अत्यंत सरसरी ढंग से प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो प्रथमदृष्टया अवैध है और निरस्त किए जाने योग्य है। विहित प्राधिकारी ने उक्त धारा में निहित प्रावधानों का अवलोकन किए बिना अवैध रूप से आदेश पारित किया है तथा बिना किसी तर्कसंगत आधार के कार्यवाही को लंबित रखा। विहित प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं के पट्टे के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते समय सर्वप्रथम परिसीमा के संबंध में उठाई गई आपत्ति पर विचार करना चाहिए था।

17. उपर्युक्त अभिलिखित कारणों तथा वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय इस विचारित मत का है कि प्रश्नगत आदेश पूर्णतः अवैध हैं तथा निरस्त किए जाने योग्य हैं।

18. तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा पारित दिनांक 21.11.2000 एवं 25.05.1999 के आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

19. रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति इरशाद अली)

31 मार्च, 2026

आदर्श के सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।